रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2015/वैशाख 8, 1937

No. 861] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2015/VAISAKHA 8, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2015

का.आ.1100(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), सिक्किम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, सिक्किम कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1.	श्री सोनम टोपडेन लाचुंगपा, आईएफएस (रिटायर्ड), दि हिडन फोरेस्ट,सिची बस्ती, गंगटोक, सिक्किम-737101	अध्यक्ष
2.	डॉ. बीना प्रधान, विभागाध्यक्ष, प्राणि विज्ञान विभाग, सिक्किम गवर्नमेंट कालेज, ताडोंग, पूर्व सिक्किम ।	सदस्य
3.	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), वन, पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार ।	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, सिक्किम के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, सिक्किम उक्त राजपत्र अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा और प्रक्रियाओं का अनुकरण करेगा ।

4. प्राधिकरण, सिक्किम इस अधिसूचना द्वारा सिक्किम सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगा ।

5. प्राधिकरण, सिक्किम की सहायता के लिए केंद्रीय सरकार सिक्किम राज्य सरकार से परामर्श करके, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, सिक्किम (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी, सिक्किम कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.	श्री बी.के.तिवारी, आईएफएस (रिटायर्ड), 6वां मील ताडोंग, पी.ओ.समदूर, पूर्व सिक्किम-737102 ।	अध्यक्ष
2.	श्री टी.बी गुरुंग, जोरेधारा, 5वां मील, ताडोंग, पूर्व सिक्किम ।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र प्रधान, चौथा तल, त्रिशूल बिल्डिंग, टेलीफोन एक्सचेंज, देवराली, गंगटोक, सिक्किम ।	सदस्य
4.	प्रधान वैज्ञानिक, राज्य वन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सचिवालय एनेक्स बिल्डिंग-1, देवराली, गंगटोक	सदस्य
5.	डॉ. सत्यदीप छैत्री, आचार्य रसायन, सिक्किम गवर्नमेंट कालेज, ताडोंग गंगटोक ।	सदस्य
6.	डॉ. डी.आर.छेत्री, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा पुलिस विभाग, सिक्किम सरकार, सिक्किम ।	सदस्य
7.	डॉ. घनश्याम शर्मा, डा.धाकल्स क्लिनिक, ताडोंग, डारागांव-737102 ।	सदस्य
8.	डा. गोपाल प्रधान, प्रधान वैज्ञानिक, राज्य वन पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, सचिवालय एनेक्स बिल्डिंग-1, देवराली, गंगटोक ।	सदस्य
9.	डॉ. भारत चंद्र बशिष्ठ, अपर निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, सिक्किम सरकार ।	सदस्य
10.	वन संरक्षक (वन्यजीव) वन, पर्यावरण और प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार ।	सचिव

6. एसईएसी, सिक्किम के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एसईएसी, सिक्किम उक्त राजपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगी और प्रक्रियाओं का अनुकरण करेगी ।

8. एसईएसी, सिक्किम सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी । अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

9. सिक्किम राज्य सरकार, प्राधिकरण, सिक्किम और एसईएसी, सिक्किम के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, सिक्किम के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एसईएसी, सिक्किम के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता का सिक्किम राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/99/2007-ए.आई. II(I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2015

S.O. 1100(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Sikkim (hereinafter referred to as the Authority, Sikkim) comprising of the following Members, namely: -

1.	Shri Sonam Topden Lachungpa, IFS (Retired) The Hidden Forest, Sichey Busty, Gangtok, Sikkim-737101.	Chairman
2.	Dr. Bina Pradhan, HOD, Zoology Department, Sikkim Government College, Tadong, East Sikkim.	Member
3.	Chief Conservator of Forest (Wildlife), Forest, Environment and Wildlife Management Department, Government of Sikkim.	Member-Secretary

2. The Chairman and Members of the Authority, Sikkim shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette.

3. The Authority, Sikkim shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said Gazette notification.

4. The Authority, Sikkim shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Sikkim by this notification.

5. To assist the Authority, Sikkim, the Central Government, in consultation with the State Government of Sikkim, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Sikkim (hereinafter referred to as SEAC, Sikkim) comprising of the following Members, namely :-

1.	Shri B.K.Tewari, IFS (Retired) 6th Mile Tadong, P.O. Samdur, East Sikkim-737102.	Chairman
2.	Shri T.B.Gurung, Joredhara, 5th Mile, Tadong, East Sikkim	Member
3.	Shri Mahendra Pradhan, 4th Floor, Trishul Building, Telephone exchange, Deorali, Gangtok,	Member

Sikkim

4.	Principal Scientist, State Pollution Control Board Forest, Secretariat Annex Building – I, Deorali Gangtok	Member
5.	Dr. Satya Deeep Chhetri, Professor of Chemistry, Sikkim Government College, Tadong Gangtok.	Member
6.	Shri D.R. Chettri, Deputy Chief Fire Officer, Fire and Emergency Services Police Department, Government of Sikkim, Sikkim.	Member
7.	Dr. Ghanashyam Sharma, Dr. Dhakal's Clinic, Tadong, Daragaon-737102	Member
8.	Dr. Gopal Pradhan, Principal Scientist, State Pollution Control Board Forest, Secretariat Annex Building – I, Deorali Gangtok.	Member
9.	Dr. Bharat Chandra Basistha Additional Director, Science and Technology and Climate Change Department, Government of Sikkim.	Member
10.	Conservator of Forests (Wildlife), Forest Environment and Management Department, Government of Sikkim	Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC, Sikkim shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette.

7.The SEAC, Sikkim shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Sikkim shall function on the principle of collective responsibility. The Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The State Government of Sikkim shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Sikkim and SEAC, Sikkim and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10.The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Sikkim and the Chairman and Members of SEAC, Sikkim shall be paid in accordance with the concerned rules of the State Government of Sikkim.

[No. J-11013/ 99 / 2007- IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH , Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.